

**भारतीय रेल**  
**डीजल रेल इंजन कारखाना**  
**वाराणसी**

प.सं. जीएम/एडमिन/01/046.पार्ट-1

कार्यालय - म.प्र./प्रशासन  
दिनांक - 29.03.2017

**शुद्धि पर्ची सं.-04/17**

विषय - शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-XI के पैरा 11.17 में संशोधन/परिवर्धन ।

उपरोक्त शक्तियों की अनुसूची के अध्याय-XI के पैरा 11.17 में निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :-

मद सं.	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा				अभ्युक्तियां
			वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान/युप 'बी'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.17	कर्मचारी (रे.सु.ब. के कर्मचारियों सहित) को उत्कृष्ट प्रकार के सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार स्वीकृत करना ।	रेलवे बोर्ड के पत्र सं.एफ(एक्स)11// 2016/पीडब्ल्यू/3/ पार्ट.3 दिनांक 16.12.16 के मद सं.10 (सी)	प्रमुख विभागाध्यक्ष /मुख्य विभागाध्यक्ष प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में रु. 2,000/- तक पूर्ण शक्ति बशर्ते कि सभी के लिए वार्षिक सीमा रु.1 लाख हो । वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी- प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में रु.1,000/- तक पूर्ण शक्ति बशर्ते कि सभी के लिए वार्षिक सीमा रु. 30,000/- हो।	प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में रु.500/- तक पूर्ण शक्ति बशर्ते कि वार्षिक सीमा रु.15,000/- हो ।	प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में रु.200/- तक पूर्ण शक्ति बशर्ते कि वार्षिक सीमा रु.5,000/- हो ।		<p>i) व्यय स्वीकृत बजट आवंटन के अंतर्गत होना चाहिए । इस आवंटन में तदस्थल के लिए वैयक्तिक एवं सर्वोत्तम सुझाव पुरस्कार/पारितोषक, समूह पुरस्कार इत्यादि अथवा सभी प्रकार के पुरस्कार शामिल हैं ।</p> <p>ii) महाप्रबंधक अथवा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कोई भी पुरस्कार इस अनुदान के भीतर ही लिया जाता रहेगा और यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त निधि के अन्दर जिसे वर्ष के दौरान उप मुख्य लेखाधिकारी (जी) के माध्यम से मेरिट के आधार पर उपलब्ध कराया जाए ।</p> <p>iii) इस संबंध में जारी स्वीकृत ज्ञापन में इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल निधि आबंटन, इस ज्ञापन के जारी होने की तिथि तक उपयोग की गई राशि इस शीर्ष से उसी तिथि को उपलब्ध निधि को अपरिवर्तनीय रूप से दिखाया जाना चाहिए। इसके बिना लेखा विभाग द्वारा स्वीकृत ज्ञापन के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा । वैयक्तिक राशि सीमा एवं बजटरीय सीमा के अनुसार रखी जा रही है ।</p>

						<p>iv) <u>सामूहिक पुरस्कार</u> रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2004/ओ एवं एम/5/1, दिनांक 09.09.04 के अनुरूप सामूहिक पुरस्कार की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित सीमा का अनुपालन किया जाए । (क) म.प्र. रू.1,00,000/- ( रेलवे बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के मद सं. 10 सी के अनुरूप वैयक्तिक कर्मचारी सीमा रू.5000/- प्राधिकार रेलवे बोर्ड पत्र सं. एफ.(एक्स)11-2016/पी डब्ल्यू/3/पार्ट.3 दि.16.12.16) (ख) पी एच ओ डी/ सी एच ओ डी रू. 20,000/- (ग) अन्य विभागाध्यक्ष रू.10,000/- (घ) उप विभागाध्यक्ष रू.5,000/-</p>
--	--	--	--	--	--	---

यह विसमुलेधि की वित्तीय सहमति एवं महाप्रबंधक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

( एम. के. गुप्ता )

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए :-

1. सभी विभागाध्यक्ष/वरि.प्रशा. अधिकारी
2. सभी कनिष्ठ प्रशा. अधिकारी
3. सभी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी
4. सभी कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी/सहायक अधिकारी

डीरेका, वाराणसी

( एम. के. गुप्ता )

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव महाप्रबंधक  
कृते महाप्रबंधक